125

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक /2007

R 1373-II/07

1- श्रीमती कुसमा विधवा छोटेलाल

2- कु. छाया अवयस्क पुत्री स्व0 छोटेलाल द्वारा संरक्षक मां श्रीमती कुसमा विधवा छोटेलाल निवासी ग्राम - विजयपुरा तहसील व जिला दतिया (म0प्र0)

---- आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभि. द्वारा आज दि. 8-8-07 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

विरुद्ध

1- चन्द्रप्रकाश पुत्र किशोरी शरण

2- भरतसिंह पुत्र अमरसिंह अवयस्क संरक्षक चन्द्रप्रकाश पुत्र किशोरीशरण निवासी ग्राम कुलारखा तहसील भाण्डेर जिला दतिया (म0प्र0)

3- रिमता विधवा छोटेलाल निवासी ग्राम - विजयपुरा, तहसील व जिला दतिया म0प्र0

4- अवतारसिंह पुत्र पंजाबसिंह निवासी- ग्राम दैवरीमाट तहसील व जिला दतिया म0प्र0

----- अनावेदकगण

W3
मुकेश भार्गव
8-8-07 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्र0 5/2004-03/अपील में पारित आदेश दिनांक 19-7-07 के विरुद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

------0-------

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार पुनरीक्षण प्रस्तुत है :-

------2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1373–दो/07 जिला – दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के प्रकरण कमांक 5/2003–04/अपील में पारित आदेश दिनांक 19–7–07 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत कुसौला द्वारा ग्राम विजनपुरा की नामांतरण पंजी कमांक 12 दिनांक 27–10–2002 के द्वारा ग्राम विजनपुरा की भूमि सर्वे नं. किता 8 रकबा 2.76 हैक्टर पर वारिस के आधार आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 3 एवं 4 का नामांतरण स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वसीयत के आधार पर अपील की जो उन्होंने स्वीकार करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कोंको दोहराते हुए कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जो निष्कर्ष निकाले हैं वे त्रुटि पूर्ण हैं क्योंकि प्रकरण में विधिवत इश्तहार का प्रकारण किया गया जिस पर कोई आपत्ति नहीं आई । अनावेदक कमांक 1 एवं 2 को व्यक्तिगत	

श्रीमती कुसमा आदि विरूद्ध चन्द्रप्रकाश आदि

R. 1373 ए/07 (दिनांक)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सूचना देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । विचारण न्यायालय ने विधिवत् प्रकिया उपरांत वारिसाना नामांतरण स्वीकार किया । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष उपधारणाओं पर आधारित है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य को अमान्य किया गया है । जबकि स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकों की साक्ष्य को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया गया है । प्रकरण में प्रत्यावर्तन का कोई आधार नहीं होते हुए उन्होंने प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की गई है जबकि किसी पक्षकार की कमी को पूरा करने के लिए प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता । 3/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताया गया साथ ही व्यवहार वाद कमांक 46ए/07 में पारित आदेश दिनांक 28–4–09 के अनुसार प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है । 4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अनावेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। व्यवहार न्यायालय के निर्णय को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती दी गई है और वहां से कोई आदेश पारित किया गया है, इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके । ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय के निर्णय को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । जहां तक व्यवहार न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रकरण का निराकरण किए जाने का प्रश्न है, अनावेदकों को निर्देश दिए जाते	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1373–दो/07 जिला – दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	हैं कि वे व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करें और तहसीलदार तद्नुसार प्रकरण का निराकरण करें । यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	